उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-29/2509/पांच-8-2016-जी0(66)/2016

लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3512/पांच-8-2012-म0(270)/2012टी0सी0-11, दिनांक 05-12-2012 द्वारा डा0 मेघना श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। डा0 श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 26-12-2012 को मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के आदेश दिनांक 11-01-2013 द्वारा डा0 श्रीवास्तव की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मवाना, मेरठ में की गयी, जहां डा0 श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त के उपरान्त दिनांक 08-02-2013 तक कुल 42 दिन राजकीय सेवा करने के उपरान्त अनुपस्थित हो गयी। डा0 श्रीवास्तव द्वारा पत्र दिनांक 10-11-2015 द्वारा पुन: योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 03-05-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 मेघना श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के अधीन योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। डा0 मेघना श्रीवास्तव के चिकित्सा अवकाश/अनधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 मेघना श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 27-08-2016 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वत: निरस्त समझा जायेगा।

जी0सी0 कठेरिया

संयुक्त सचिव।

क्रमश:

संख्या-29/2509(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 मेघना श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 27-08-2016 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ।

6- कोषाधिकारी, मेरठ।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in